

**कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात**

संख्या- 11 / जि0आ0अधि0 / दुकान व्यवस्थापन / का0दे0 / 2018-19 / दिनांक 06 अप्रैल, 2018

**विज्ञापित**

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी नीति विषयक अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 38339-413 / दस-लाइसेंस-367 / आबकारी नीति / 2018-19 / दिनांक इलाहाबाद 03.02.2018 के अनुक्रम में प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1347-1421 / दस-लाइसेंस-367 / सुझाव आबकारी नीति / 2018-19 दिनांक इलाहाबाद 06 अप्रैल 2018 के अन्तर्गत जनपद कानपुर देहात की अवशेष बीयर की फुटकर दुकान बडौली का वर्ष 2018-19 हेतु व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्राविधानों के अन्तर्गत ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। दुकान का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	बीयर दुकान का नाम	प्रास्थिति	लाइसेंस फीस (रु0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रु0 में)	धरोहर धनराशि (रु0 में)
1	बडौली	ग्रामीण	505000	50500	50500

उपरोक्त दुकान के व्यवस्थापन हेतु आनलाइन आवेदन पूर्व की भांति आबकारी विभाग की वेबसाइट <http://upexciseelottery.gov.in> के माध्यम से दिनांक 07.04.2018 को प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 12.04.2018 को रात्रि 11:30 बजे तक किया जा सकता है। आनलाइन आवेदन के समय प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी की धनराशि का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा तथा देय धरोहर धनराशि का भुगतान जिला आबकारी अधिकारी कानपुर देहात के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा किया जाना है। डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्केण्ड प्रति आनलाइन पोर्टल पर अपलोड करके मूल ड्राफ्ट जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा। दुकान का आवंटन ई-लॉटरी के माध्यम से जिला लाइसेंसिंग समिति के समक्ष दिनांक 16.04.2018 को प्रातः 09:00 बजे से नवीन कलेक्ट्रेट सभागार माती, कानपुर देहात में किया जायेगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी कानपुर देहात अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षको से प्राप्त की जा सकती है।

जिला आबकारी अधिकारी,  
कानपुर देहात।

(राकेश कुमार सिंह)  
जिलाधिकारी,  
कानपुर देहात।

संख्या- 12-14 / तददिनांक।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात।
- 2- विज्ञापन व्यवस्थापक..... *31/6/18* *5 टिक आगो* को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस विज्ञापित को अपने समाचार पत्र में सीमित एवं अल्प स्थान में प्रकाशित कर जिला सूचना अधिकारी कानपुर देहात द्वारा दर सत्यप्रित कराकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करायें।

*पुष्पेश्वर झा*  
*जय सिंह*  
*आबकारी अधिकारी*  
*31/6/18*  
*का 0 दे 0*  
*16/04/18*

*[Signature]*  
जिला आबकारी अधिकारी,  
कानपुर देहात।

*शुद्धि*  
*[Signature]*  
*6/4/18*  
*for. Dairle. Jagan*